Vol II Issue IX

ISSN No : 2230-7850

Monthly Multidiciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor

Ashok Yakkaldevi

Editor-in-chief

H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
Volume 2, Issue. 9, Oct 2012
ISSN:-2230-7850

Available on all social networks
citeulike

ORIGINAL ARTICLE

ग्रामीण महिलाओं के मानवाधिकार : नागपुर जिले के संदर्भ में

रमेश प्रसाद द्विवेदी

अंशकालीन प्राध्यापक ,महिला अध्ययन व विकास केन्द्र
राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महराज विश्वविद्यालय नागपुर,

सारांश :

21वी सदी में अब महिलाओं के मानवाधिकार के लिए शासन, स्वयं सेवी संगठन द्वारा प्रयास किया जाने लगा है जिससे आज महिलाओं में बदलाव देख जा रहा है। भारत में अतीत से ही नारी का सर्वोच्च स्थान रहा हैं, परंतु गत वर्षो में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां यह बदलाव सम्मानजनक एवं सकारात्मक हैं, वहां वही अधिकांश जगहों पर ये बदलाव महिलाओं के प्रतिकूल साबित हो रहे हैं।

मुख्य बिन्दु:

महिलाएं, भारतीय संविधान, कानून और महिलाएं, महिला मानवाधिकारों की सोचनीय स्थिति।

प्रस्तावना:

भारत यह कृषि प्रधान देश होने के कारण बहुल्यांक परिवार कृषि व्यवसाय करते दिखाई देते हैं। पहले संयुक्त परिवार ही होने के कारण परिवार के सभी पुरूष वर्ग खेतों में काम करने जाते थे और महिलाएं भी उन्हें थोड़ा बहुत हातभार लगाने खेत में जाती थी लेकिन महिलाओं की भूमिका यानी चूल्हा, बरतन, बच्चों की परवरिश इस सीमा तक ही सीमित थी। पहले महिलाओं को शिक्षण/पढने की भी अनुमति नही मिलती थी। महिलाओ को नौकरी करना या अर्थार्जन करना ये बात भी किसी के मन में नही आती थी क्योंकि नौकरी या व्यवसाय करके अर्थार्जन करने का काम व अपने परिवार का पालन पोषण/भरण–पोषण करने का कार्य केवल पुरूषों के हाथ में था। इस तरह महिलाओं को नौकरी करना, उनकी भूमिका को सुविधाजनक नही था। इसी वजह से ही उसे पढाना अनावश्यक नहीं समझा जाता था। महिलाओं को नौकरी या फिर अर्थार्जन न करने की वजह यह भी हैं कि पहले के जमाने में घर के पुरूष वर्ग जो भी कमाई करते थे वह पैसा घर के चलाने के लिए काफी था। इस कारण महिलाओं ने अर्थार्जन करके पुरूषों को आर्थिक मदद करने की नौबत ही नही आई। भारतीय समाज में महिला की भूमिका को बडा ही महत्व का स्थान था फिर भी उसे मानव अधिकार नही था उसे अपनी इच्छा से रहने नही दिया जाता था। समाज के नियमों पर और एक सीमित ही दिशा से चलने की अनुमती थी। इस तरह हर वक्त अपनी इच्छाओं का बलिदान देना पडता था। वैसे ही भारतीय समाज में महिला व पुरूषों को समान अधिकार नही थे। महिलाएं पुरूषों की तुलना में बहुत ही कमजोर मानी जाती थी। कुछ अंतराल के बाद महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आने लगा।

भारत में अंग्रेजो के शासन काल से भारत में हर क्षेत्र में बहुत ही तेजी से परिवर्तन आने लगा। महिला–पुरूषों में जो भेद दिखाई देते थे वे दूर होने लगे और दोनो के लिए समान अधिकार दिये गये। इस कारण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में समान अधिकार दिये गये। महिलाओं को पढ़ने की अनुमति दी गई फिर भी आज हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पढाया जाता हैं लेकिन उसे नौकरियां अर्थार्जन करने की अनुमति नही दी जाती। अधिकतर गांवों में देखा जाता है कि 80 प्रतिशत परिवार संयुक्त ही रहता हैं इसका कारण घर के काम व घर के अलावा खेती में काम करने की अनुमति दी जाती हैं। महिलाओं का अर्थार्जन करने की अवसर या अधिकार यह भारत में औद्योगिकरण के बाद ही दिया गया। औद्योगिकरण के कारण ऐसी परिस्थिति तैयार हुई जिसके कारण महिलाओं को भी अर्थार्जन करने की जरूरत लगने लगी। औद्योगिकरण के कारण जो बदलाव दिखाई देता हैं उसमें महत्व का परिवर्तन हमें गांव के संयुक्त परिवार धीरे धीरे विभक्त परिवार में परिवर्तित हो रहा हैं। घर में किये जाने व्यवसाय बंद किये गये। उसका रूपांतर बडे मशीनों व उद्योगों में किया गया। इसका कारण गांव के लोग अर्थार्जन करने शहर में आने लगे व गांव में विभक्त परिवार बढने लगे और परिवार में ऐसा परिवर्तन आने के कारण घर की महिलाओं को घर के काम करने के बाद में भी बहुत सा खाली समय मिलने लगा। खाली समय में क्या करे? नौकरी करने के लिये बाहार तो जाने की अनुमति नही थी तो घर में ही बैठकर अर्थार्जन करने की वस्तुएं बनाकर बेचनी लगी। 19वी सदीं में बदलाव आना प्रारंभ हुआ जब नवजागरण काल में भारतीय फलक पर अनेक सुधारवादी व्यक्तित्व सक्रिय हुए। बंगाल में राजा राममोहन राय ने जहां सती प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर और गुजरात में दयानंद सरस्वती ने महिला शिक्षा और विधवा विवाह जैसे मुद्दों को लेकर काम किया। महाराष्ट्र में सन् 1848 में सावित्री बाई फुले ने लडकियों हेतु प्रथम स्कूल पुणे में खोला। नारी उत्कर्ष की दिशा में यह एक विशिष्ट प्रयास था फलतः समूचे भारत की महिलाओं में एक नई चेतना जागृत होने लगी। 20वी सदीं में इस प्रक्रिया को ठोस धरातल और भक्ति भारत में आजादी के बाद मिली। भारत के संविधान ने महिलाओं को समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई माना और इन्हें नागरिकता, वयस्क मताधिकार और मूल अधिकारों के आधार पर पुरूषों के बराबर दर्जा तथा समान अधिकार प्रदान किए, किंतु वास्तविक शक्ति महिलाओं से अब भी दूर थी और है। संविधान के अनुच्छेद 39 में की गई व्यवस्था के अनुसार –राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से

Please cite this Article as : *रमेश प्रसाद द्विवेदी*, *ग्रामीण महिलाओं के मानवाधिकार : नागपुर जिले के संदर्भ में* **: Indian Streams Research Journal (Oct. ; 2012)**

पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्यात साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अतः भारतीय सरकार ने वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया।

गत वर्षो में महिलाओं के अधिकारों का जितना उलंघन हुआ हैं शायद पहले कभी नही हुआ। समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता के बावजूद इनके साथ अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल, सडको, सार्वजनिक यातायात एवं अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई हैं, इसमें शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण भी शामिल हैं। दैनिक समाचार पत्रों में दिन–ब–दिन की घटनाएं छपी होती है जो महिलाओं से संबंधित होती है जैसे– बलात्कार, दहेज के लिए बहू को जलाना, प्रताड़ित करना तथा बालिका का भ्रुणहत्या, अपहरण, अगवा करना आदि। यह सच हैं कि आज महिलाओं ने अपने आपको मुख्य धारा में शामिल कर लिया हैं परंतु उनके इस विकास में उनकी दृढ इच्छा शक्ति के साथ मीडिया और भारतीय फिल्मों का भी अत्यंत योगदान हैं जो मानसिकतौर पर नारी को निरंतर विकास की ओर गतिशील किया हैं। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया हैं। वैदिक युग में पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय उसे आशिर्वाद देता था कि वह सार्वजनिक कार्य और कलाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करे। सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव महिलाओं की उसी ओजस्विता और रचनात्मकता पर आधारित रहे हैं। वस्तुतः भारत दुनिया के उन थोडे से देशों में से हैं जहां की संस्कृति और इतिहास में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हैं और जहां मनुष्य को मनुष्य बनाने में उनके योगदान को स्वीकार किया गया हैं किंतु विभिन्न कारणों से कालांतर में भारतीय समाज में महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक स्थिति निरंतर कमजोर होती हैं और पुरूष समाज द्वारा आरोपित मर्यादा और अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया गया हैं। 73 वां संविधान संशोधन ने स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करके अधिकार संपन्न बनाने का अवसर प्रदान किया है अभी हाल ही में महिलाओं के लिए कुछ राज्यों में आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका है और आने वाले कुछ ही समय में पूरे भारत में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किये जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है जिससे महिलाओं की सभी क्षेत्रों में सहभागिता बढेगी। भारत ने इस प्रक्रिया की शुरूवात करते हुए ग्रामीण अंचलों और विभिन्न समूहों की महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। इन जनतांत्रिक इकाइयों से जुडी महिलाएं जैसे जैसे अपनी अधिकारों के प्रति जागरूक होती जाएगी उनके अधिकार वंचित की प्रक्रिया भी उसी गति से थमती जाएगी। कई राज्य सरकारों ने सार्वजनिक सेवाओं में 30 प्रतिशत पद महिलाओं हेतु आरक्षित कर दिया हैं। महिलाओं को जागरूक और सचेत बनाने की प्रक्रिया में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। जितनी तेजी से हमारे गांवों की महिलाओं में शिक्षा की रोशनी फैलेगी उतनी ही तेजी से वे स्वास्थ्य, गर्भधारण, जनसंख्या और रोजगार जैसे मुद्दों पर न केवल जागरूक बल्कि सक्रिय होती जाएगी। पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों को अधिकार से वंचित करने की खबरों को सरकार और विभिन्न अभिकरण (एजेंसियां) न केवल गंभीरता से ले रही हैं बल्कि उन्हें कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

भारतीय संविधान और महिलाएं :

भारतीय संस्कृति एवं जीवन पद्धिति में मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा प्राचीन काल से ही संस्थापित है। महाभारत कालीन साहित्य एंव कौटिल्य आदि के समय में महिलाओं पर प्रहार करना, निरापराधियों को सताना, राज्य प्रतिनिधियों को अपमानित करना, वर्जित माना गया था। समाज एवं परिवार में मानव अधिकरों का आदर करना भारतीय परम्पराओं और आस्था का स्भाविक अंग माना गया है। ब्रिटिश गुलामी के दिनों में भारत के कई क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सामन्तवादी प्रवृति का बोलबाला था मालिक वर्ग गरीब मजदूरों से कम परिश्रमिक में अधिक कार्य करवाते थे। कभी कभी तो पशुओं से खराब बदतर व्यवहार किया जाता था। किन्तु स्वतंत्रता के बाद कुछ बदलाव आया। भारतीय संविधान के प्रावधानों ने अमानवीय स्थितियों को समाप्त कर सुव्यवस्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा कायम करने का प्रयास किया। संविधान में मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है :–

1.अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत पुरूष और महिलाओं को आर्थिक, राजनैतिक एंव सामाजिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं।
2.अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म मूलवंश जाति लिगं जन्मस्थल के आधार पर कोई भेदभाव नही करेगा। प्रत्येक नागरिक का मूलभूत कर्त्तव है कि वह महिलाओं पर अत्यचार न होने दें।
3.अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत पुरूषों एंव महिलाओं को बिना भेदभाव के सार्वजनिक नियुक्तियों तथा रोजगार के सम्बध में समान अवसर का अधिकार है।
4.अनुच्छेद–23 के अनुसार नारी के देह व्यापार से उसकी रक्षा की जाये। इस दृष्टि से संप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट 1956 पारित किया गया।
5.अनुच्छेद 39 में पुरूष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार है।
6.अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबन्ध एवं
7.अनुच्छेद–51 इसके अर्न्तगत उन सभी बातों का परित्याग करना जो नारी सम्मान के विरूद्ध है।
8.अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के एक तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान एवं संविधान की धारा 243 डी में संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के बजाय 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

महिला मानवाधिकारों की सोचनीय स्थिति :

1.जन्म से पूर्व : जबरदस्ती गर्भधारण, गर्भपात, गर्भावस्था के दौरान मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या,
2.शैशावावस्था के दौरान : शिशु कन्या हत्या, माता–पिता द्वारा खन पान मे भेदभाव, मारपीट, व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान न देना,
3.किशोरावस्था के दौरान : शीघ्र विवाह, परिवार व अपिरिचितों द्वारा यौन शोषण, बाल वेश्यावृति, मूलभूत सुविधाओं का अभाव,
4.युवावस्था के दौरान : कार्यस्थलों पर शोषण, यौन उत्पीड़न, अवैध व्यापार, बालात्कार, अपहरण, छेड़छाड़,
5.नारित्व के दौरान : विवाह हेतु दहेज की मांग, विवाह के बाद दहेज के लिए मारपीट व हत्या एवं आत्महत्या हेतु मजबूर करना, मानसिक एवं शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा आदि।

हमने महिलाएं और मानव अधिकार के संदर्भ में समाचार पत्रों, दूरदर्शन में प्रसारित कार्यक्रमों, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से देखा और पढ़ा है कि 21 वीं सदी में भी महिलाओं के मानवाधिकार का उलंघन कम नही हो रहा है। समाज का एक अंग होने के कारण मन में विचार आया कि क्यों न महिलाओं के मानवाधिकार को अध्ययन का एक आधार बनाया जाय। इसलिए हमने अपने अध्ययन के लिए महिलाएं एवं मानव अधिकार विषय का चयन किया है।

अध्ययन का उद्देश्य :

1.महिलाओं अर्थात उत्तरदातियों की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि का परीक्षण करना,
2.महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व शोषण का कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है?
3.गांव में महिलाओं के प्रति समस्याओं की जानकारी हासिल करना,
4.ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के विविध अधिकारों की जानकारी हासिल करना,
5.गांव में महिला व पुरूष के संबंधों को जानना,
6.ग्रामीण समुदाय में महिलाओं के अधिकार के प्रति पुरूषों के मनोभाव अवलोकन करना,

उपकल्पना :

1.ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अल्पशिक्षा एवं निरक्षर होने के कारण अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं हैं।
2.सामाजिक व आर्थिक संरचना के पाबंदियों के कारण ग्रामीण महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं।
3.ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ती गरीबी व समस्या के कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचार तथा शोषण बढ़ते ही जा रहे हैं।
4.महिलाओं में साक्षरता का प्रमाण व जागृति की क्रिया जितनी ज्यादा बढेगी, उतनी ही तेजी से वो अपने सामने आनेवाली हर समस्या का निराकरण कर पायेगी।

समग्र का अध्ययन क्षेत्र : भारत के महाराष्ट्र राज्य के तहत आने वाले जिलों में से एक नागपुर जिले की नागपुर तहसील की महिलाओं के मानवाधिकार के बारे में अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार, उत्पीड़न, समस्याओं आदि के बारे में अध्ययन में शामिल किया गया है।

प्रतिचयन पद्धति (Sampaling Method) : इस संशोधन कार्य को पूरा करने के लिए चयनित क्षेत्र वके दस गावों का चयन किया गया प्रत्येक गांव से 10–10 उत्तरदातियों को शामिल करते हुए कुल 100 उत्तरदातियों का चयन किया गया है।

तथ्य संकलन (Data collection) : आधार सामग्री के संकलन का मुख्य साधन साक्षात्कार अनुसूची थी। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते हुए इस अनुसूची का प्रयोग किया गया। इस प्रश्न सूची में कुल 40 प्रश्न थे जिसमें अधिकांश प्रश्न संरचित थे। इसके अलावा इस विषय से संबंधित लिखित एवं अलिखित दस्तावेज, पुस्तकें, समाचार पत्र, आदि के आधार पर तथ्यों का संकलन किया गया है।

अवलोकन पद्धति (Observation Method) : अवलोकन विधि सबसे प्रचीन व सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मनुष्य ने संसार का प्रथम ज्ञान निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया। समाजिक विज्ञान संकाय में अनुसंधान में प्रयुक्त अवलोकन पद्धति में सहभागी एवं अर्ध सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया गया है।

साक्षात्कार अनुसूची : वैज्ञानिक विधियों द्वारा न्यायदर्श इकाइयों का चयन कर लेने के बाद यह आवश्यक होने के कारण साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से वर्धा जिले के कारंजा तहसील के तहत आने वाले दो गांव नारा एवं सुसुंद्रा के संदर्भ में अध्ययन किया गया।

अध्ययन का प्रारूप : प्रस्ततु अध्ययन वर्णात्मक एवं निदानात्मक है, क्योंकि संशोधन के मुख्य घटक महिलाएं और मानवाधिकार के संदर्भ में है।

अध्ययन का निष्कर्ष :

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक पद्धति के आधार पर हमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हुई हैं लेकिन आज भी लडकियों को उतना ही पढ़ाया जाता हैं जितना की उनके गांवों में पाठशाला उपलब्ध हैं। आदर्शात्मक समाज की हम कल्पना करते हैं तो उसके अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हो, सभी परिवार के सदस्यों को निर्णय लेने का अधिकार हों लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था नही दिखाई देती हैं। हमारे समाज में पुरूष प्रधानता ही दिखाई देती हैं। महिलाओं को परिवार में जितना आदर, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो दिखाई नही देती हैं।

1.अधिकांश महिलाओं को पारिवारिक कार्यप्रणाली में भी निर्णय देने की अनुमति नही हैं। उन्हें बाहर के पुरूषों से मिलने की अनुमति नही दी जाती हैं। महिलाओं को घर की चार दिवारी तक ही सीमित रखा जाता हैं। 18 उत्तरदातियों ने उत्तर देते वक्त भी कहां हैं कि उन्हें बच्चों को क्या पढाना, उन्हें कौन से क्षेत्र में डालना ये भी महिलाओं से पूछा नही जाता हैं। हर वक्त उनकी इच्छा व महत्वकांक्षा की कद्र नही की जाती हैं। इसकी वजह एक ही हैं कि आज भी पारिवारिक घटना संबंधी निर्णय परिवार के सबसे वृद्ध व्यक्ति या फिर पुरूषों द्वारा ही लिये जाते हैं।

2.गांव में रीति रिवाज, परम्परा, अंधविश्वास के आधार पर ही अधिकांश निर्णय लिये जाते हैं। महिलाओं को शिक्षा से तथा रोजगार से वंचित रखना, उसी परिवार में दुय्यम स्थान देना, महिला व पुरूषों के अधिकारों में भेद करना यह सब इस रूढी परंपरा का अहम हिस्सा हैं। इस वजह से ही महिलाएं अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग नही कर पा रही हैं। कुछ महिलाएं पढी लिखी होने के कारण हर क्षेत्र में पति के समान ही अधिकार चाहती हैं। परिवार में निर्णय देने की अनुमति चाहती हैं लेकिन परिवार में महिलाओं को कमजोर माना जाता हैं। इस कारण वो अपने अधिकारों से वंचित रहती हैं।

3.महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए साक्षरता होना एक अहम व अनिवार्य घटक माना गया हैं। ग्रामीण महिलाएं शैक्षणिक, सामाजिक रूप से काफी पिछडी हुई हैं तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं, प्रशिक्षण एवं प्रसार तकनिकी का ज्ञान नही, जिसके फलस्वरूप सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओ की सुविधाएं प्रस्तुत की हैं इन योजनाओं की जानकारी ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचना जरूरी हैं। आज भी महिलाओं को

अपने अधिकार की पूरी तरह से जानकारी नही हैं।

4.46 प्रतिशत महिलाएं हाई स्कूल से कम पढी लिखी हैं। स्नातक पदवी प्राप्त उत्तरदातियों की संख्या 24 प्रतिशत हैं और 30 प्रतिशत महिलाओं को गांव में पाठशाला होते हुए भी पढने नही दिया गया, इस कारण उन्हें निरक्षर रहना पडा। ग्रामीण क्षेत्र के पुरूषवर्ग को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शिक्षा मानव जीवन का महत्वपूर्ण आधार हैं। शिक्षा के आधार पर व्यक्ति में दक्षता, ज्ञान, कौशल तथा क्षमताओं का विकास होता हैं। शिक्षा समाज में व्यापक और सूक्ष्म आर्थिक परिवर्तनों का प्रभावशाली माध्यम हैं। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में समुचित योगदान के लिए प्रत्येक नागरिक चाहे वह पुरूष हो या महिला शिक्षित होना अनिवार्य हैं। शिक्षा से महिलाओं में परिवारिक कार्यप्रणाली प्रति जागरूकता हासिल होती हैं। महिलओं को भी अपने अधिकरों को अपनाने की हिम्मत चाहिए और यह हिम्मत तभी आयेगी जब महिलाएं खुद अपने अधिकारों से वाकिफ हो। अधिकारों की जानकारी शिक्षा से ही प्राप्त होती हैं इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी हैं।

5.आज अनेक ग्रामीण परिवार की लडकियों की शिक्षा पर व्यय को अपने साधनों का दुरूपयोग मानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हैं कि अध्ययन के अन्तर्गत यह भी पाया गया हैं कि कुछ परिवार में अभी भी लडकियों के जन्म को अमांगलिक और अपशकुन मानवों की रूढीगत परंपरा विद्यमान हैं। इस तरह नारी की उपेक्षा उनके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती हैं। उपेक्षा के फलस्वरूप ही ग्रामिण महिलाओं को लाभकारी व्यवासायों में भूमिका निभा पाने में असमर्थ माना गया हैं फलस्वरूप उन्हें कृषिगत कार्यो में कार्यस्त रहना पडता हैं।

6.अध्ययन के अंतर्गत यह देखा गया हैं कि बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय की कमी पायी गई हैं। गांव से अधिक दूरी पर विद्यालयों की स्थापना की गई हैं। विद्यालय में आने जाने की समस्या तथा यातायात के साधनों की असुविधा, महिला अध्यापकों की कमी भी दिखाई देती हैं। गरीबी तथा अशिक्षित माता–पिता के कारण माता पिता को शिक्षण का महत्व कम दिखाई दिया, इ. कारण स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते में अवरोध पैदा करती हैं। "साक्षर नारी" पढी लिखी महिला घर की नही बल्की पूरे राष्ट्र का सम्मान हैं।

7.ग्रामीण क्षेत्रों की महिला श्रमिकों का भाग कृषि कार्यो में लगा हैं। वर्तमान स्थिति में परिवार को सुख समृद्ध बच्चों की पढाई के लिए तथा स्वास्थ्य, बढ़ती महंगाई गृहस्थी का बोझ उठाना एक के वश की बात नही हैं। पत्नी को भी पति के इस बोझ को उठाने के लिए बराबर की हिस्सेदारी निभानी पडती हैं लेकिन ग्रामीण महिलाओं को नौकरी करने के लिये घर से बाहार नही भेजा जाता हैं।

8.आज 50 प्रतिशत उत्तरदातियों का पारिवारिक व्यवसाय कृषि ही दिखाई दिया हैं। कृषि एक प्रमुख आर्थिक कार्य हैं लेकिन वहां भी पुरूष एक महिलाओं के मजदूरी में अंतर रखकर महिलाओं का आर्थिक शोषण किया जाता हैं। 70 प्रतिशत उत्तरदातियां घर बैठे ही कुटीर उद्योग अर्थात वह उद्योग जो छोटे स्तर पर या घर पर ही कम लागत पर शुरू किया जा सके। उदा. टोकरी बनाना, चटाई बनाना, मिट्टी के बर्तन की रंगाई, मोम उद्योग, बेडशिट पर क्रोशा काम, भगवान की श्रृंगार वस्तुएं बनाकर बेचना, मशिन काम इन छोटे धंधों को अतिरिक्त आय का साधन बना लेती हैं इत्यादी काम गांवों की महिलाएं खाली समय में ही करती हैं। 44 प्रतिशत उत्तरदातियों को अपने पारिवारीक कार्यप्रणाली में निर्णय देने की अनुमति नही हैं तो 56 प्रतिशत उत्तरदातियों को यह हक दिया गया हैं। जिन महिलाओं को अपने ही परिवार में निर्णय लिए या दिये नही जाते उसका महत्वपूर्ण कारण यही हैं कि महिला कम पढी लिखी होने के कारण उसमें ज्ञान की कमी पायी जाती हैं। उसे परिवार में दुय्यम स्थान होने के कारण व परंपरा से चलती आई पित्रृसत्ताक परंपरा प्रणाली जो यही दर्शाती हैं कि महिला यह पुरूषों से कमजोर पायी गई परिवार के हर कार्यो में निर्णय पुरूष वर्ग ही लेते हैं। लेकिन पुरूषों ने महिलाओं को उतना ही सम्मान/अधिकार देना चाहिए जितना की उसे मिलता हैं।

9.पारिवारिक लोगों से 57 प्रतिशत उत्तदातियों का संबंध समाधान कारक हैं तो 30 प्रतिशत उत्तरदातियों ने इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त की हैं। इसकी वजह बताते वक्त सभी उत्तरदातियों ने अलग समस्या व्यक्त की हैं। किसी ने कहा हैं कि परिवार में सभी काम उन्हें ही करने पडते हैं। सासु, जेठानी काम में उसे मदद नही करती तो किसी ने अपने पति की गंदी आदतों को लेकर परेशानी व्यक्त की हैं तो कुछ उत्तरदातियों को घर में सास, देवर, ननद हर वक्त उसके साथ झगडा करते रहते हैं। तानाशाही तथा उसे भला बुरा बोलते रहते है। इसमें से 1 उत्तरदाती मॉ न बनने पर उसे हर वक्त बांझ कहकर शर्मींदा करते हैं। सास हर वक्त बहू को तकलिफ देते रहती हैं वो यह भूल जाती हैं कि सास भी कभी बहू थी।

10.महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का सबसे दुःखी पहलु यह हैं कि उन्हें घरेलु हिंसा का शिकार होना पडता हैं। एक अध्ययन के अनुसार 30 प्रतिशत से अधिक भारतीय विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा झेलने को विवश हैं इसलिए सरकार ने घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए दंड का प्रावधान किया हैं। मात्र ये प्रावधान के बारे में ग्रामीण महिलाओं को जानकारी नही इसलिए महिलाओं तक इसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि महिलाएं स्वयं पर होने वाले अत्याचार को खुद ही मिटा सके। ग्रामीण समाज में 50 प्रतिशत औरतें परिवार और समाज के घोर शोषण का शिकार हैं। 60 प्रतिशत महिलाओं को घर के पूरे काम चौका–बर्तन और बच्चों को पालने के साथ–साथ ग्रामीण महिलाएं होश संभालने के समय से ही पशुपालन, इंधन बटोरने, पानी लाने और खेत खलिहान में खटने जैसे काम करने लगती हैं और जीवन पर्यंत करती रहती हैं परंतु इन सभी कामों को व्यवसाय की बजाय पारिवारिक कार्यो के रूप में मान्यता प्राप्त हैं जब्कि पुरूष द्वारा किये जाने वाले कार्यो को व्यवसाय माना जाता हैं। यहां पर भी महिला व पुरूषों में कार्य के प्रति भेद भाव दिखाई देता हैं। 20 प्रतिशत महिलाओं ने यह भी कहा हैं कि लडकियों का जन्म अशुभ माना जाता हैं और कुछ परिवार में तो पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता हैं। लडकों तथा लडकियों के लालन पालन में भेदभाव के कारण लडकियों को लडकों की तुलना में कम पौष्टिक भोजन मिलता हैं जिससे वे बचपन से ही अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती हैं या दुर्बलता के कारण अस्वस्थ रहती हैं। इस समस्या से पीडित उत्तरदातियां 6 प्रतिशत पायी गई हैं। 10 प्रतिशत महिलाएं दहेज प्रथा से पीडित हैं। 70 प्रतिशत महिलाएं मनोवैज्ञानिक उत्पीडन से पीडित हैं। महिलाओ को दुय्यम दर्जा तथा हर स्थिती में पुरूष वर्ग द्वारा अपमानित होना महिलाओं की मनोवैज्ञानिक उत्पीडन हैं। 20 प्रतिशत महिलाएं पति द्वारा हिंसा अर्थात बात बात पर पत्नी को पिटना उस पर आघात, फ्रॅक्चर, चोटे, रक्तस्त्राव, गर्भपात व विकलांगता इ. पीडाएं सहती हैं। 90 प्रतिशत महिलाएं दहेज प्रथा से पीडित हैं। उसमें से 60 प्रतिशत महिलाओं को दहेज न पाने, कम पाने के कारण उन्हें हर वक्त गाली गलोच करना, कुछ महिलाओं को बारबार मायके से पैसे लाने की जबरदस्ती की गई हैं।

11.परिवार में पुरूषों और महिलाओं को समान अधिकार और दर्जा नही दिया जाता हैं इस कारण ही महिलाएं अभी भी पुरूषों से काफी पीछे हैं। भारतीय समाज में महिला आज भी कमजोर वर्गो में शामिल हैं। विकास के अधिकतर क्षेत्रों में पुरूषों और महिलाओं की स्थिति में भारी अंतर मौजूद हैं। इसी अंतर को कम करने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में महिला व पुरूषों में भेद दिखाई देता हैं। 80 प्रतिशत महिलाओं को पुरूषों से निम्न स्थान प्राप्त हैं इसकी वजह हैं रूढिगत सोच। महिलाओं की बद्तर स्थिति के लिए मूल रूप से बचपन से लडकों तथा लडकियों को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेदार हैं। उसके बाद हमारी पारिवारिक

DSpace™

सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराएं, मूल्य तथा रीति रिवाज इस दृष्टिकोण की ओर पुष्ट करते रहते हैं अतः इस सोच में बदलाव लाना महिला विकास की सबसे बडी चुनौती हैं। इसलिए महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति हर वक्त जागृत रहना जरूरी हैं।
12.निदर्शन में यह भी दिखाया गया कि 6 प्रतिशत महिलाओं के शरीर पर आज भी जली चमडी व मांसपेशियों में सिकुडना इ. निशान भी बदन पर दिखाई गये हैं। अत्याचार व शोषण से बचने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं वो कानून व अधिकारों का प्रयोग करने की हिम्मत और जागरूकता होना जरूरी हैं। जागरूकता तथा साहसी बनाने में शिक्षा तथा आर्थिक स्वावलंबन ये दोनों बातें होना जरूरी माना गया हैं। 60 प्रतिशत महिलाओं के घर में स्थिति दिखाई देती हैं कि घर में भोजन की कमी आने के कारण महिलाओं को पुरूषों के मुकाबले कम खाना दिया जाता हैं। महिला परिवार को खाना खिलाने के बाद में बचा कुचा स्वयं खाती हैं इस कारण महिलाएं कुपोषण से पीडित दिखाई हैं। 8 प्रतिशत उत्तरदातियों ने यह भी व्यक्त किया हैं कि उन्हें बुखार या बिमारी पर पुरूषों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता हैं। ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके बारे में लिखा गया हैं कि पति या अन्य सदस्य विवाहित महिला पर उसकी इच्छा के विपरीत अधिक बच्चे पैदा करने पर दबाव डालते हैं।

13.सर्वेक्षण में यह भी सामने आया हैं कि ग्रामीण महिलाओं का चरित्र हनन भी किया गया हैं। बहुल्यांक उत्तरदातियों ने यह कहा हैं कि जब वे घर से बाहर निकलकर ग्रामीण विकास का कार्य करती हैं तो समाज उनके चरित्र पर उंगली उठाकर उन्हें हतोत्साहित करता हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का सबसे दुखद पहलु यह हैं कि उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पडता हैं। यह अध्ययन के अनुसार 40 प्रतिशत विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा झेलने को विवश हैं इसलिये सरकार घरेलु हिंसा की रोकधाम के लिए नया कानून बना रही हैं। इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा करते हुए इस तरह की हिंसा के लिए दंड का प्रावधान किया हैं लेकिन 30 प्रतिशत से अधिक महिलाएं कोर्ट कचहरी की सीढी चढना नही चाहती हैं। 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को दहेज को लेकर परेशान किया जाता हैं। 50 प्रतिशत उत्तरदातियों को घर के सदस्य अपने मायके से पैसे लाने पर विवश करते हैं और उन्होंने पैसे नही लाए तो उन्हें घर में रहने की अनुमति नही दी जाती हैं। उसके साथ शारीरिक अत्याचार किये जाते हैं। अधिकारों के प्रति अनभिन्नता दिखाई देती हैं। अधिकार प्राप्ति के पश्चात भी महिलाएं उन्हें उपयोग करना नही जानती। बहुत से अधिकारों से वो आज भी अंजान हैं।

14.50 प्रतिशत उत्तरदातियां परिवार के सदस्यों से पीडित हैं। परिवार की बहू होने के कारण उसे सभी लोगों की सेवा करना, परिवार के पूरे कामों की जिम्मेदारी उसे सौप दी जाती हैं। परिवार में तीज–त्यौहार के दिन सभी लोग त्यौहार की खुशी मनाते हैं और घर की तब महिला घर के कामों मे ंही लगी रहती हैं। परिवार में उनको दुय्यम स्थान दिया जाता हैं। ग्रामीण महिलाओं को साधारण मानव अधिकार से वंचित रखा गया हैं वो अधिकार उसे नही दिये गये। इस संदर्भ में महिला व पुरूषों में भेद दिखाई दिया हैं। शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ, इत्यादि क्षेत्रों में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त नही दिखाई दिये हैं। अध्ययन से संबंधित तथ्यों से यह स्पष्ट होता हैं कि अपने विवाहित जीवन के साथ समझौता करते हुए दिखाई देती हैं। हमारी सभी उत्तरदातियों की राय में ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं को साक्षर होना चाहिए ताकि अपने अधिकरो के प्रति जागृत हो, समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त कर सके।

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक अधिकार के लिए संविधान, कानून, भारतीय दंड सहिता, आदि के माध्यम से विविध प्रावधान तो कर दिये गये है लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए वे अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः महिलाओं के मानवाधिकार के लिए निम्न सुझाव दिये गये है जो इस प्रकार हैः–

1.समाज में व्याप्त लिंग भेदभाव, हिंसा, प्रताड़ना आदि को दूर करने हेतु प्रयासों को गति देना आवश्यक हैं।
2.महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अधिकार, कार्य आदि के संदर्भ में हम सभी को ध्यन देने की आवश्यकता है।
3.महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक प्रतिष्ठा को उपर उठाना आवश्यक हैं।
4.प्रचार, आधुनिक संचार माध्यमों, पुस्तकों व समाचार पत्रों के माध्यम से समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा को उपर उठाना आवश्यक हैं।
5.ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगारों की मुख्य धारा से जोडना भी आवश्यक हैं।

इन सुझावों के अलावा स्वयं महिला को अपने स्वास्थ के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक हैं उसे ऐसी रूढियों, परंपराओं, अंधविश्वासों से स्वयं को दूर करना होगा। गांव में ग्राम पंचाचत समिति द्वारा पुरूषों को यह ज्ञात कराना जरूरी हैं कि समाज में स्त्री व पुरूष दोनों को समान अधिकार हो ताकि ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं का निराकराण हो सके।

संदर्भ ग्रंथ

1.रमा शर्मा व एम. के. मिश्रा : भारतीय समाज में नारी– अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2010
2.डॉ. मंजुलता छिल्लर : भारतीय नारी शोशण के बदलते आयाम– अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली 2010
3.डॉ. प्रज्ञा शर्मा : भारतीय समाज में नारी– पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001
4.रमा शर्मा व एम. के. मिश्रा : महिला विकास– अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2010
5.डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव : नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तीकरण–अवधारणा, चिन्तन एवं सरोकार भाग 1 एवं 2, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010
6.डॉ. बी.एल. फाड़िया : लोक प्रशासन एवं शोध प्रविध– साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2007
7.डॉ. एम. के. जैन : शोध विधियां– यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009
8.डॉ. एम.एस अंसारी : शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता– रमेश पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, दिसम्बर 2009
9.Gonsalves Lina : A Women and Human Right, APH Publishing co., New Delhi, 2001
10.Gupta U.N : A The Human Rights , Atlantic Publishing, New Delhi, 2004
11.Jayapalan N. : Women & Human Rights, Discomvery Public House, New Delhi- 2006
12.Kaushal R. : Women and Human Right, New Delhi, 2000
13.http://buzzle.com/articles/list of human rights isuues.html.
14.http://www.omenrights.com.html.

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net